तो उपस्थित हो...
पत्रावली वास्ते निर्णय 6.1.20

[illegible] पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी ने एक वाद न्यायालय में धारा 88, 188, 209 RTA के तहत प्रस्तुत कर रखा बताते हुए, यह प्रा.पत्र इस न्यायालय में वास्ते जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया व कथन किया की वाद ग्रस्त भूमि खा.नं. 1334/818 व 1337/2, ग्राम किकरीया को प्रार्थी के पिता ने दि. 06.03.1997 को उसे जरिये रजिस्टर्ड वसियत पत्र के वसीयत करदी थी लेकिन उक्त भूमि का नामान्तरण वसीयत के अनुसार न कर, पैतृक सजरा अनुसार कर दिया गया। जिसे आगे से आगे प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 ने विक्रय कर दिया। प्रतिवादी सं. 4 ने भी 22.07.2013 को भूमि विरेन्द्र पुत्र ईश्वरलाल हरिजन को विक्रय कर दी। अब विरेन्द्र उक्त भूमि को अपने नाम नामान्तरण करवाना चाहता है, जिसे जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है, तथा तहसीलदार को रिवेन्यू रिकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने का आदेश प्रदान करना भी आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में बहस समायत की गई व उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी ने अपने कथनों को प्रार्थना पत्र के अनुसार ही दोहराया साथ ही यह कथन भी किया की उसके [illegible] की उक्त भूमि स्वअर्जित है [illegible] रिकार्ड पर नहीं है, तथा ऐसा कोई [illegible] उसके [illegible] है।

[illegible] प्रतिवादी [illegible] कथन किया कि उक्त भूमि पैतृक है, तथा पैतृक सम्पत्ति को वसीयत द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता वसीयतकर्ता की भूमि उसकी निजी तथा स्वअर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय RT 2014 (2) पेज 1301 के अनुसार खातेदार अभिधारी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा हम खातेदार अभिधारी हैं। अतः उक्त प्रा. पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि भूमि उसके पिता की (वसीयतकर्ता) स्वअर्जित भूमि हो अतः यह न्यायालय कोई दाद देना उचित नहीं मानता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:26 IST
Reason: SelfAttested